भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3051

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवास

3051. श्रीमती भारती पारधीः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चौथी केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में अब तक घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी(पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक विशेषकर महिला लाभार्थियों, जिनमें एकल महिलाएं, विधवाएं और अन्य विशेष लाभार्थी श्रेणियां शामिल हैं, के लिए आवंटित मकानों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रदान की जा रही कुल केंद्रीय सहायता कितनी है और वह विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका योगदान किस प्रकार रहा है;

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन बीस लाख से अधिक मकानों के समय पर पूर्ण किया जाना और गुणवत्तापूर्ण निर्माण को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है; और

(ङ) लाभार्थी की संतुष्टि के लिए लागू निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है**,** जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्का मकान उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि जो पहले 31.03.2022 तक थी**,** उसे वित्त पोषण पद्धति और कार्यान्वयन प्रणाली में कोई बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)**,** साझेदारी में किफायती आवास **(**एएचपी)**,** किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है**।**

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय ने अब तक इस योजना के तहत कुल 122.06 लाख आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत 10.43 लाख आवास भी शामिल हैं। 24.11.2025 तक, इनमें से 113.85 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 96.02 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इन योजनाओं के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएन) को जारी किए गए हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान स्वीकृत और जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य पिछड़े और कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को

प्राथमिकता दी जाती है। कुल स्वीकृत आवासों में से 96 लाख लाभार्थी महिलाएं है जिनमें एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा, इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 24.78 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.67 लाख, अल्पसंख्यकों के लिए 22 लाख, 8.36 लाख वरिष्ठ नागरिकों, 0.73 लाख दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहर, राज्य और केंद्र सरकार तीनों स्तरों पर प्रगति की निगरानी की जानी है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) परियोजना निरूपण और परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, जिसमें आवासों की चरण-वार प्रगति और वित्तीय प्रगति शामिल है।

मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभार्थियों को कब्जा सौंपे जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आवंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के एएचपी/आईएसएसआर घटकों के तहत आवासों पर कब्जा दिए जाने की स्थिति में सुधार करें। इसके अलावा, वास्तविक समय में प्रगति की ट्रैकिंग के लिए सभी आवासों/परियोजनाओं की जियो-टैगिंग, केंद्रीय सहायता चरणबद्ध रूप में जारी करना, अनिवार्य तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी (टीपीक्यूएम), लाभार्थी संतुष्टि के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा और सीएसएमसी और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से चल रहे आवासों को समय पर पूरा करना और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

*****

18.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष स्वीकृत और जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	**स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**
2020-21	27,372.03	26,765.70
2021-22	29,236.26	22,249.54
2022-23	18,185.56	26,225.36
2023-24	5,790.85	19,726.99
2024-25	5,331.38	4,186.56